न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 08/2024
दायर दिनांकः 19.01.2024
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :—

नीरज सनाढय पिता प्रेमशंकर जी सनाढय जाति ब्राहम्ण आयु 46 वर्ष निवासी कमल तलाई कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीराम इन्टर प्राईजेज पंजीकृत भागीदारी फर्म 24 ग्राउण्ड फ्लोर सुरभि कॉम्पलेक्स जलचक्की नाथद्वारा रोड कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद जरिये भागीदार महेश कुमार एवं शंकरलाल

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 27.12.2023 के अस्वीकृति आदेश से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री भगवान सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 27.12.2023 के अस्वीकृति आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उलपुरा मंगला पाछला पटवार क्षेत्र उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में आराजीयात खाता संख्या 103 में आराजी संख्या 442 रकबा 0.4679 हेक्टयर तथा आराजी संख्या 443 रकबा 0.9864 हेक्टयर कुल रकबा 1.4543 हेक्टेयर कृषि भूमियां स्थित

है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोण्डेंट संख्या दो फर्म के नाम पर दर्ज है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो एक पंजीकृत भागीदारी फर्म मैसर्स श्रीनाथ इन्टर प्राईजेज के नाम से पंजीकृत होकर उक्त भागीदारी फर्म में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर खातेदार के रूप में अंकन करा रखी है। फर्म द्वारा यह भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.01.2013 को खातेदार भँवरसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत निवासी उलपूरा पाछला मंगरा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद से क्रय कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कराई। इसी प्रकार उक्त आराजी का आंशिक हिस्सा केसरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी उलपूरा, से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.01 2013 से क्रय कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कराई है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसका पंजियन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द्वारा किया हुआ है तथा फर्म द्वारा इस सम्पत्ति को क्रय किया गया है। अपीलार्थी ने रेस्पोण्डेंट संख्या दो भागीदारी फर्म से पैरा संख्या एक मे वर्णित भूमि में से 4/23 वॉ हिस्सा अर्थात 0.2529 हैक्टेयर भूमि 6,00,000/– छह लाख रूपये प्रतिफल पर क्रय कर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया एवं भूमि के विक्रय के अनुसरण में फर्म से अपने पक्ष में विधिवत विक्रय विलेख निष्पादित करा कार्यालय उप पंजियक नाथद्वारा के यहाँ पर पंजीकृत करवाया गया जो दिनांक 18.09.2023 को निष्पादित करा दिनांक 18.09.2023 को ही कार्यालय उप पंजियक नाथद्वारा के यहाँ पर पंजीकृत कराया गया है। विक्रय विलेख पंजीकृत होने के पश्चात् उक्त भूमि का विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत कराने के लिए राजस्व विभाग में विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 04.12.2023 को भरा गया तथा नामान्तरकरण भरने के पश्चात् दिनांक 11.12.2023 को पटवारी हल्का द्वारा इस पर यह नोट अंकित किया कि विक्रीत खाते में कम्पनी के नाम के साथ भागीदारो के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है क्रेता की जाति सामान्य जाति है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते हैं। नामान्तरकरण खारिज योग्य है रिपोर्ट श्रीमान् के सेवामें पेश है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् राजस्व निरीक्षक द्वारा भी इस आशय की टिप्पणी अपनी जॉच में करते हुऐ नामान्तरकरण खारिज योग्य होने की रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये, बिना सुने ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पंजीकृत भागीदारी फर्म से क्रय की है। कानूनन कोई भी कम्पनी, फर्म, संस्था ट्रस्ट आदि की कोई जाति नहीं होती है। इनका केवल कानूनी अस्तित्व होता है जाति तो केवल मनुष्य की होती है जो जीवित एवं मृत रहता है जबकि कम्पनी एवं फर्म संस्था का पंजीयन होने पर उसका विघटन होने पर समापन होता है। उपरोक्त कानूनी परिस्थिति के परिपेक्ष्य में फर्म को व्यक्ति मानकर जाति के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भागीदारी फर्म में किसी भी जाति विशेष को फर्म कम्पनी निर्मित करने का अधिकार नहीं दिया है बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को फर्म का गठन करने, व्यवसाय करने एवं कारोबार संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यदि इस प्रकार के निर्णय होते है तो सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था पर ही प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण अस्वीकृत करने में जो आधार लिया गया है वह स्पष्ट रूप से विधि के विपरित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत कृषि भूमि के खातेदार जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है उनकी खातेदारी भूमि का अंतरण अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति में ही किये जाने के प्रावधान है। अन्य जाति में अंतरण को प्रतिबन्धित कर रखा है जिसका आशय अधिनस्थ न्यायालय के समस्त राजस्व अधिकारियो ने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गलत निकाला है। पंजीकृत भागीदारी फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट आदि की कोई जाति नहीं होती है। इन सभी को सामान्य अनुसूची में ही रखा गया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को अनुसूचित जाति के अतिरिक्त सामान्य/ओ बी सी कम्पनी फर्म संस्था आदि द्वारा क्रय नहीं की जा सकती है अर्थात अंतरण निषेधित है उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए भी इसी तरह की प्रतिबधता है। आलौच्य आदेश से यह भी प्रमाणित होता है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि को केवल सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है लेकिन उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय एवं उसके अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारी ने अपनी आधारहीन टिप्पणी के आधार पर विक्रय पत्र को अपनी अधिकारिता से परे जाकर निरस्त मान लिया गया है और यदि यह स्थिति रहती है तो भूमि का विक्रेता को ऐसी टिप्पणी के आधार पर पुनः विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उसके द्वारा अपीलार्थी से पूर्ण प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया गया है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 27.12.2023 नामान्तण संख्या 406 का अस्वीकृति अपास्त फरमाया जावे एवं विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में विधिवत नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सिंह उपस्थित।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उलपुरा मंगला पाछला, पटवार हल्का उथनोल तहसील नाथद्वारा मे खसरा संख्या 442 रकबा 0.4679 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 443 रकबा 0.9864 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो रेस्पोण्डेंट संख्या दो भागीदारी फर्म की क्रयशुदा भूमि है जिसे रेस्पोण्डेट संख्या दो द्वारा भँवरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.01.2023 से क्रय की थी एवं केसरसिंह पिता देवीसिह जी राजूपत से क्रय की थी और राजस्व रेकार्ड में भूमि रेस्पोण्डेंट संख्या दो के नाम पर दर्ज हुई है। उक्त भूमि में से आंशिक भाग अर्थात 4/23 वॉ हिस्सा 0.2529 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या दो फर्म द्वारा अपीलार्थी को 6,00,000/- रूपये में विक्रय करना तय किया था और 6,00,000/- रूपये की राशि अपीलार्थी से विपक्षी संख्या दो द्वारा प्राप्त कर भूमि का विक्रय विलेख अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया एवं विक्रयशुदा भूमि का कब्जा आधिपत्य सिपुर्द कर दिया ओर भूमि के विक्रय की पुष्टि स्वरूप विक्रय पत्र का पंजियन अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजियन करा दिया। उक्त भूमि फर्म की सम्पत्ति है और फर्म की सम्पत्ति होने से यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि भागीदारी फर्म अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में नहीं है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत उथनोल के अधिक्षेत्र में स्थित है तथा ग्राम पंचायत के अधिक्षैत्र में होने से नामान्तरकरण स्वीकृत करने की अधिकारिता विधि द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत्त कर रखी है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने में रेस्पोण्डेंट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम उलपुरा मंगला पाछला पटवार क्षेत्र

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में आराजीयात खाता संख्या 103 में निम्न कृषि भूमियां स्थित रही है – आराजी संख्या 442 रकबा 0.4679 हेक्टयर तथा आराजी संख्या 443 रकबा 0.9864 हेक्टयर कुल रकबा 1.4543 हेक्टेयर। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोण्डेंट संख्या दो फर्म के नाम पर दर्ज है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो एक पंजीकृत भागीदारी फर्म मैसर्स श्रीनाथ इन्टर प्राईजेज के नाम से पंजीकृत होकर उक्त भागीदारी फर्म में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर खातेदार के रूप में अंकन करा रखी है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसका पंजियन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द्वारा किया हुआ है तथा फर्म द्वारा इस सम्पत्ति को क्रय किया गया है। अपीलार्थी ने रेस्पोण्डेंट संख्या दो भागीदारी फर्म से पैरा संख्या एक मे वर्णित भूमि में से 4/23 वॉ हिस्सा अर्थात 0.2529 हैक्टेयर भूमि 6,00,000/– छह लाख रूपये प्रतिफल पर क्रय कर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया एवं भूमि के विक्रय के अनुसरण में फर्म से अपने पक्ष में विधिवत विक्रय विलेख निष्पादित करा कार्यालय उप पंजियक नाथद्वारा के यहाँ पर पंजीकृत करवाया गया जो दिनांक 18.09.2023 को निष्पादित करा दिनांक 18.09.2023 को ही कार्यालय उप पंजियक नाथद्वारा के यहाँ पर पंजीकृत कराया गया है। विक्रय विलेख पंजीकृत होने के पश्चात् उक्त भूमि का विधिवत नामान्तरकरण स्वीकृत कराने के लिए राजस्व विभाग में विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 04.12.2023 को भरा गया तथा नामान्तरकरण भरने के पश्चात् दिनांक 11.12.2023 को पटवारी हल्का द्वारा इस पर यह नोट अंकित किया कि विक्रीत खाते में कम्पनी के नाम के साथ भागीदारो के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है क्रेता की जाति सामान्य जाति है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते हैं। नामान्तरकरण खारिज योग्य है रिपोर्ट श्रीमान् के सेवामें पेश है। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् राजस्व निरीक्षक द्वारा भी इस आशय की टिप्पणी अपनी जॉच में करते हुऐ नामान्तरकरण खारिज योग्य होने की रिपोर्ट की है। पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये, बिना सुने ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पंजीकृत भागीदारी फर्म से क्रय की है। कानूनन कोई भी कम्पनी, फर्म, संस्था ट्रस्ट आदि की कोई जाति नहीं होती है। इनका केवल कानूनी अस्तित्व होता है जाति तो केवल मनुष्य की होती है जो जीवित एवं मृत रहता है जबकि कम्पनी एवं फर्म संस्था का पंजीयन होने पर उसका विघटन होने पर समापन होता है। उपरोक्त कानूनी परिस्थिति के परिपेक्ष्य में फर्म को व्यक्ति मानकर जाति के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 27.12.2023 नामान्तण संख्या 406 का अस्वीकृति अपास्त फरमाया जावे एवं विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में विधिवत नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी से हमने प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विक्रय विलेख अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया एवं विक्रयशुदा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि का कब्जा आधिपत्य सिपुर्द कर दिया ओर भूमि के विक्रय की पुष्टि स्वरूप विक्रय पत्र का पंजियन अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजियन करा दिया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने में रेस्पोण्डेंट संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय अपील में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम उलपुरा मगरा पाछला के प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 406 के अवलोकन पर पाया कि मैसर्स श्रीनाथ इन्टर प्राईजेज, 24 ग्राउन्ड फ्लोर सुरभि कॉम्पलेक्स कांकरोली जरिये भागीदार महेश कुमार पिता प्रेमशंकर सनाढ्य निवासी कमल तलाई कांकरोली व शंकरलाल पिता लालुराम बैरवा निवासी जलचक्की कांकरोली द्वारा राजस्व ग्राम उलपुरा मगरा पाछला में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 442 रकबा 0.4679 हैक्टेर व आराजी संख्या 443 रकबा 0.9864 हैक्टेर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4543 हैक्टेर भूमि में से 4/23 वां हिस्सा नीरज सनाढ्य पिता प्रेमशंकर सनाढ्य निवासी कमल तलाई कांकरोली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 406 विक्रेता मैसर्स श्रीनाथ इन्टर प्राईजेज, 24 ग्राउन्ड फ्लोर सुरभि कॉम्पलेक्स कांकरोली जरिये भागीदार महेश कुमार पिता प्रेमशंकर सनाढ्य निवासी कमल तलाई कांकरोली व शंकरलाल पिता लालुराम बैरवा निवासी जलचक्की कांकरोली के बजाय विक्रित 4/23 वां हिस्सा क्रेता नीरज सनाढ्य पिता प्रेमशंकर सनाढ्य जाति ब्राह्मण निवासी कांकरोली के नाम पटवारी हल्का उथनोल द्वारा दर्ज किया गया एवं नामान्तरण पर यह रिपोर्ट अंकित की गयी कि **"विक्रित खाते में कंपनी के नाम के साथ भागीदार के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है जिसकी जाति बैरवा है। जबकि क्रेता की जाति सामान्य सनाढ्य है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रेय नहीं कर सकते है। अतः नामान्तरण खारिज होने योग्य है।"** एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी वक्त जांच नामान्तरण उक्त टिप्पणी अंकित की गयी जिससे रिपोर्ट पटवारी व जांच भू–अभिलेख निरीक्षक अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा नामान्तरण संख्या 406 अस्वीकृत किया गया।

श्रीमान् शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के स्पष्टीकरण परिपत्र क्रमांक प06(54)राज.–6/2001–पार्ट/21 दिनांक 19.11.2005 से यह निर्देशित किया गया है कि **"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही किया जा सकता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा भूमि किसी फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की जा सकती, चाहे उक्त फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था का भागीदार या अध्यक्ष या निदेशक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति क्यों न हो। (2) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय किया जाता है, जो किसी फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था का पदाधिकारी हो तो नामान्तरण पंजीयन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष क्रेता के नाम जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, ही खोला जा सकेगा, न कि उस फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था, जिसका व पदाधिकारी या सदस्य है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निष्पादित विक्रय पत्र लोक नीति के विरूद्ध होने के कारण उपपंजीयक द्वारा उसका पंजीकरण नहीं किया जायेगा तथा यदि कोई पंजीकरण कर भी दिया गया हो तो नामान्तरण खोलने की कार्यवाही नही की जायेगी।"** अतः उक्त परिपत्र

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही अंतरित की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विचारणीय प्रकरण में भागीदारी फर्म के अनुसूचित जाति के भागीदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से में से आंशिक भाग भागीदारी फर्म के माध्यम से सामान्य जाति के व्यक्ति को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया गया एवं उक्त विक्रय पत्र की पालना में दर्ज प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 406 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। जो कि नियमानुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानानुसार अस्वीकृत किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा के द्वारा दिनांक 27.12.2023 को पारित नामान्तरण आदेश यथावत रखा जाता है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने से तहसीलदार, नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

24/2/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)